प्रेस विज्ञप्ति
06.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग) यूपीपीएससी (स.अ./सहा.स.अ.(आरओ/एआरओ) परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा और सुभाष प्रकाश की1 . 02करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में भोपाल) म.प्र (.में एक घर की संपत्ति पर39 . 36लाख रुपये का अग्रिम भुगतान ,ग्रेटर नोएडा) उप्र (में 30 लाख रुपये मूल्य का एक आवासीय फ्लैट ,दादरी)उप्र (में10 . 50लाख रुपये मूल्य का एक आवासीय भूखंड ,बैंक खाते में7 . 06लाख रुपये की शेषराशि और राजीव नयन मिश्रा और सुभाष प्रकाश के स्वामित्व वाली15 . 34लाख रुपये मूल्य की 2 कारें शामिल हैं ।

ईडी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स.अ./सहा.स.अ.(आरओ/एआरओ) परीक्षा पेपर लीक से संबंधित भा.दं.सं ,.1860 ,उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम ,1998 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत उप्र पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि राजीव नयन मिश्रा ,सुभाष प्रकाश और रवि अत्री ने अपने साथियों की मदद से उप्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 और स.अ./सहा.स.अ .(आरओ/एआरओ) परीक्षा-2023 के प्रश्न पत्र लीक किए। उन्होंने निर्धारित तिथि से पहले परीक्षा के उम्मीदवारों को लीक हुए प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा कर अपराध की आय अर्जित की। उम्मीदवारों के लिए हरियाणा के मानेसर और मध्य प्रदेश के रीवा और भोपाल में रिसॉर्ट्स में इकट्ठा होने की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद और परीक्षा की तारीख तक/बाद में आरोपियों के बैंक खातों में महत्वपूर्ण क्रेडिट और नकद जमा पाए गए। राजीव नयन मिश्रा और सुभाष प्रकाश ने भोपाल और नोएडा के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था करके धोखाधड़ी की गतिविधियों की अपनी यात्रा शुरू की। यह राजीव की कंपनी मेसर्स सेमवॉल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया गया था। राजीव नयन मिश्रा पहले भी उप्र और मप्र जैसे राज्यों में अन्य सरकारी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न पेपर लीक मामलों में शामिल रहा है।

आगे की जांच जारी है।